

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

"अधिसूचना"

एस0 ओ0-

पटना, दिनांक- 21-4-16

चूँकि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा एस0 एल0 पी0 नं0-34045/2009 में दिनांक 04.10.2012 को पारित न्यायादेश (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, न्यू पेपर इम्पलाईज यूनियन, फ्रेजर रोड, पटना द्वारा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा-17 के अंतर्गत समर्पित दावा को निर्णयार्थ श्रम न्यायालय निर्देशित किया जाना है।

अतः बिहार राज्यपाल उक्त विषय संबंधी प्रबंधन, बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी लि0, फ्रेजर रोड, पटना, टाइम्स पब्लिसिंग हाउस, फ्रेजर रोड, पटना, एक्सेल पब्लिसिंग हाउस कम्पनी लि0, फ्रेजर रोड, पटना पर्ल प्रिन्टविल, फ्रेजर रोड, पटना के विरुद्ध दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, न्यू पेपर इम्पलाईज यूनियन, फ्रेजर रोड, पटना से प्राप्त द्वितीय एवं तृतीय किस्त भुगतान हेतु दावे को निर्णयार्थ श्रम न्यायालय, पटना को निर्देशित करते हैं।

सं0-3/डी-04/2016 श्र0सं0- 1461

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(देव नंदन यादव)*  
20.4.16

सरकार के अपर सचिव ।

प्रति  
20/4/16

अधिसूचना

एस0 ओ0 दिनांक- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

सं0-3/डी-04/2016 श्र0सं0- 1462-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(देव नंदन यादव)*  
20.4.16

सरकार के अपर सचिव ।

प्रति  
20/4/16

Govt. of Bihar  
Labour Resources Department

Notification

S.O.


Patna, Dated- 21-4-16

Whereas it is required to make a reference to Labour Court for adjudication of the claim of The Times of India, Newspaper Employees Union, Fraser Road, Patna under section-17 of the Working Journalists and Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provision Act, 1955 according the order. dated-04.10.2012. passed by Hon'ble Supreme Court in S.L.P No.-34045/2009 (Copy Enclosed).

So The Governor of Bihar is pleased to refer the claim submitted by The Times of India, Newspaper Employees Union, Fraser Road, Patna to Labour Court, Patna against Bennet Coleman & Company Ltd., Fraser Road, Patna The Times Publishing House, Patna, Exel Publishing House Company Ltd. Fraser Road, Patna Peri Printwell Ltd., Fraser Road, Patna regarding the claim of payment of second and third installment to Labour Court, Patna for adjudication.


No. 3/D-04/2016 L.R- 1461

By order of the Governor of Bihar,

  
(Deo Nandan Yadav)


20.4.16  
Addl. Secretary to Govt.

ज्ञाप संख्या-3/डी-04/2016 श्र0सं0- 1462 पटना, दिनांक- 21-4-16  
प्रतिलिपि :- पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना को दि टाईम्स ऑफ इण्डिया, न्यूज पेपर इम्पलाईज यूनियन, फ्रेजर रोड, पटना से प्राप्त द्वितीय एवं तृतीय किस्त भुगतान हेतु दावा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(देव नंदन यादव)

20.4.16  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/डी-04/2016 श्र0सं0- 1462 पटना, दिनांक- 21-4-16  
प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(देव नंदन यादव)

21.4.16  
सरकार के अपर सचिव।